



# 'फसल खराबे का जितना मुआवजा कांग्रेस ने 10 साल में दिया था उतना मौजूदा सरकार ने ढाई साल में दिया'

बारिश से रबी फसल में हुए नुकसान की स्पेशल गिरदावरी जारी, किसानों को मिलेगा 15 हजार प्रति एकड़ तक मुआवजा - उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला

टीम एक्शन इंडिया/चंडीगढ़  
पूर्व कांग्रेस सरकार ने अपने दस साल में किसानों को फसल खराबे का जितना मुआवजा दिया, उतना मुआवजा मौजूदा प्रदेश सरकार दो साल में किसानों को दे चुकी है। यह जानकारी हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने दी। वे विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन ध्यानकर्णण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि साल 2022 में ओलावृद्धि से फसल के हुए नुकसान की भरपाई के लिए 151.42 करोड़ रुपए तथा 2021 में भारी वर्षा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 614.63 करोड़ रुपए और 2020 में खरीक फसल के नुकसान के लिए 269.77 करोड़ रुपए और रबी फसल के लिए 114.44 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए हैं।



उहोने कहा कि इस प्रकार पिछले ढाई साल में 1150.26 करोड़ रुपए किसानों को देने का कार्य किया है जो कि यूपी सरकार के दस साल में दिए गए कुल मुआवजे के बराबर है। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 11 जिलों में वर्षानाम में रबी की फसलों में नुकसान हुआ है जिसका गिरदावरी करवाकर

8 2720 गांवों के 34064 किसानों ने 157557 एकड़ भूमि का खराबा बारे अवगत करवाया है

आंकलन किया जा रहा है। डिटी सैमेंप दुष्यंत चौटाला ने कहा अब किसानों को चेक नहीं दिए जा रहे हैं बल्कि केवल बैंक ट्रांसफर की सुविधा ही उपलब्ध करवाई जाती है इसके बाद किसानों को अपना खाता अपडेट करवाना होगा। उहोने कहा कि 11 जिलों में वर्षानाम में रबी की फसलों में नुकसान हुआ है जिसका गिरदावरी करवाकर

इस पैसे को लेने नहीं आते तो उसे किसानों के उदयन में ही खर्च कर दिया जाएगा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी 5657.02 करोड़ रुपए खरीफ 2016 से रबी 2021-22 तक का पैसा अलगा से किसानों के खते में भेजा जाया है। एक अन्य जवाब में डिटी सैमेंप दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार द्वारा दिनांक 11 मार्च 2020 को महामारी रोग अधिनियम 1987 के तहत जारी की गई अधिसूचना को महेंजर रखते हुए जारी रखा गया था। इसके बाद अलग चौटाला ने 6200 हेक्टेयर सरसों, कजीनों में 537 हेक्टेयर गेहूं तथा 6933 हेक्टेयर सरसों, नाल चौटाला में 115 हेक्टेयर सरसों तथा नारौन में 115 हेक्टेयर गेहूं के खराबी हुई है। इसके अलावा 18 से 22 मार्च को हुई बरसात के हुए नुकसान की स्पेशल गिरदावरी के लिए अलग दिनांक 19 के प्रधानी प्रबंधन के लिए रेपिड रिस्पोन्स टीमों का गठन किया गया था। इसके साथ ही परीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए 26 सरकारी मालिक्युलर लैब स्थापित की गई तथा 26 गैर सरकारी लैब के साथ मुआवजा दिया जाएगा।

टीम एक्शन इंडिया/चंडीगढ़ हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि कोरोना महामारी के पश्चात सरकार द्वारा उठाए गए कदम के तहत प्रदेश के अस्पतालों में बुनियादी ढांचा मजबूत किया गया है। वे बुधवार को यहां विधानसभा के बजट सत्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज की अनुपस्थिति में लगा गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। यह मामला चिरंजीव राव ने सदन में उठाया। निकाय मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा दिनांक 11 मार्च 2020 को महामारी रोग अधिनियम 1987 के तहत जारी की गई अधिसूचना को महेंजर रखते हुए जारी रखा गया था। इन्होंने बताया कि सरकार द्वारा दिनांक 26 रोपणशालाएं-52 संख्या (सरकारी लैब 26) (गैर सरकारी लैब के साथ एमओयू-26) हैं। उन्होंने बताया कि कोविड आंसूजन कार्सेस्टर, बायोपै, हाईफॉलो नेजल कैन्युला, ऑक्सीजन सिलेंडर, आई-सी-सु-ब्रैड, ऑक्सीजन बैड, आई-सी-सु-ब्रैड, ऑक्सीजेलेशन बैड, गैस पाइपलाइन, डीजल जेनरेटर स्टॉर्ट आदि स्वास्थ्य मालिक्युलर लैब स्थापित की गई तथा 26 गैर सरकारी लैब के साथ एमओयू-26 साइन किया गया।



इसके अलावा, इन सरकारी मालिक्युलर लैब का उपयोग अन्य संकामक एजेंटों जैसे हेपेटाइटिस, एचएनए के लिए अस्पताल स्थापित किए गए। उन्होंने बताया कि जिला हिसार और पानीपत में 500 बिस्तरों वाले दो अस्पताल स्थापित किए गए। उन्होंने बताया कि कोविड आंसूजन कार्सेस्टर, बायोपै, हाईफॉलो नेजल कैन्युला, ऑक्सीजन सिलेंडर, आई-सी-सु-ब्रैड, ऑक्सीजन बैड, गैस पाइपलाइन, डीजल जेनरेटर स्टॉर्ट आदि स्वास्थ्य केंद्रों में 3 सरों पर क्रिया गया था। जिसके तहत हड्डे मामलों को होम आइसोलेट लैब कोविड देखभाल केंद्रों में आइसोलेशन किया गया था। मध्यम मामलों का इलाज नामित कोविड स्वास्थ्य केंद्रों में क्रिया गया था। जिसका उपयोग के लिए बनाए गए हैं।

## मत्य बिनोई और आईएएस परी का दिनांक तय

कुलदीप ने जारी किया वीडियो; मई में होगी सगाई, दोनों बेटों की शादी



टीम एक्शन इंडिया/हिसार हरियाणा के हिसार के आदमपुर से विधायक भव्य बिनोई के साथ शादी के बंधन में बंधे। दोनों का रिश्ता तय हो गया है और मई में सगाई होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता व अद्यतीय विनोई सभा के संस्करक कुलदीप बिनोई ने अपने दोनों बेटों की सगाई की बात की क्षमता की। बालदीप ने जारी किया वीडियो; मई में होगी सगाई, दोनों बेटों की शादी

कुलदीप ने जारी किया वीडियो; मई में होगी सगाई, दोनों बेटों की शादी

इसलिए इस पंचायत ने यह नियंत्रण किया है कि क्यों न अपको समाज की लड़कों से हुई अरादा से हुई है। जिसके बाद से रोजगार के विश्वासी समाज के कुछ लोग उनसे यात्रीजी जारी कर रहे हैं।

बिनोई की सगाई पंजाबी समाज की लड़कों के लिए हुई है। जिसके बाद से रोजगार के विश्वासी समाज के कुछ लोग उनसे यात्रीजी जारी कर रहे हैं।

पूर्व विधायक कुलदीप बिनोई को विश्वासी समाज की जामोलाव धाम पंच-पंचायत ने स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस भेजा है। 20 मार्च को भेजे गए नोटिस में विश्वासी समाज पंच-पंचायत जारी किया गया है। इसके बाद से रोजगार के विश्वासी समाज में विश्वासी समाज के लिए गये हैं। इसके बाद से रोजगार के विश्वासी समाज में विश्वासी समाज के लिए गये हैं।

सिक्किम कार्डर में नियुक्त हो गया है।

परी विश्वासी 2020 बैच की अंडाएं आरडीएस परी विनोई की जम्म समाज में विश्वासी समाज के लिए गये हैं। इसके बाद से रोजगार के विश्वासी समाज में विश्वासी समाज के लिए गये हैं।

उहोने बताया कि हमीद हैं, यह मानुनागर, यह मानुनागर नगर नियम के पास लगभग 375 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है। उहोने कहा कि यह नियंत्रण के उत्तर में दी गई है। उहोने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि यह मानुनागर नगर नियम के पास लगभग 375 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है।

उहोने बताया कि हमीद हैं, यह मानुनागर, यह मानुनागर नगर नियम के पास लगभग 375 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है।

उहोने बताया कि हमीद हैं, यह मानुनागर, यह मानुनागर नगर नियम के पास लगभग 375 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है।

उहोने बताया कि हमीद हैं, यह मानुनागर, यह मानुनागर नगर नियम के पास लगभग 375 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है।

उहोने बताया कि हमीद हैं, यह मानुनागर, यह मानुनागर नगर नियम के पास लगभग 375 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है।

उहोने बताया कि हमीद हैं, यह मानुनागर, यह मानुनागर नगर नियम के पास लगभग 375 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है।

उहोने बताया कि हमीद हैं, यह मानुनागर, यह मानुनागर नगर नियम के पास लगभग 375 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है।

उहोने बताया कि हमीद हैं, यह मानुनागर, यह मानुनागर नगर नियम के पास लगभग 375 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है।

उहोने बताया कि हमीद हैं, यह मानुनागर, यह मानुनागर नगर नियम के पास लगभग 375 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है।

उहोने बताया कि हमीद हैं, यह मानुनागर, यह मानुनागर नगर नियम के पास लगभग 375 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है।


उहोने बताया कि हमीद हैं, यह मानुनागर, यह मानुनागर नगर नियम के पास लगभग 375 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है।

उहोने बताया कि हमीद हैं, यह मानुनागर, यह मानुनागर नगर नियम के पास लगभग 375 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है।

उहोने बताया कि हमीद हैं, यह मानुनागर, यह मानुनागर नगर नियम के पास लगभग 375 करोड़

# संगठित अपराध से निपटने के लिए सरकार कर्तव्यबद्ध: सीएम

संगठित अपराध में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा: मनोहर लाल



टीम एक्शन इंडिया/चंडीगढ़ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बहुत संगठित अपराध को नियंत्रित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है और इसी उद्देश्य के साथ विधानसभा में हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक- 2023 पारित किया गया है। विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक- 2023 पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून के साथ, राज्य सरकार न केवल गैंगस्टरों, उनके मुख्यालयों और संगठित आपराधिक गिरोहों के सदस्यों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कारबाही सुनिश्चित करेगी, बल्कि इस तहत के मजबूत कानून द्वारा अपराधियों के खिलाफ ठोस और निवारक लेकिन कानून सम्मत कारबाही करने के लिए पुलिस को सशक्त कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन संगठित अपराधों में शामिल लोगों पर नकेल कस्तूर हुए अपराधों की आय से अर्जित संपत्ति को जब्त करने के लिए और इन अधिनियम के तहत अपराधों के मुकदमे से निपटने के लिए विशेष

अदालती और विशेष अधियोजकों की व्यवस्था करने के लिए के लिए विधेय प्रावधान भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिनियम की कुछ परिभाषाओं के संबंध में कांग्रेस द्वारा किए गए हांगमे पर स्पष्ट करते हुए कहा कि उक्त विधेयक में गैंगकानूनी गतिविधि जारी रखना का अर्थ तत्परता लाग द्वारा विधिद्वारा किए गए हांगमे पर स्पष्ट करते हुए अपराध का संज्ञान लिया गया है। उहने सदन को अवगत कराया कि विधेयक 25 (1) (ए) के प्रावधान के अनुसार इस अधिनियम के अधीन किसी संगठित अपराध वाले अपराध को करने के बारे में, पुलिस अधिकारी, जो उन पुलिस महानियक के रैक से नीचे का न

से या तो अकेले या संयुक्त रूप की गई है, जिसके संबंध में एक से अधिक आरोप-पत्र 10 वर्ष की पुर्वती अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय के सम्मुख दावर किए गए हांगमे पर स्पष्ट करते हुए कहा कि उक्त विधेयक में गैंगकानूनी गतिविधि जारी रखना का अर्थ तत्परता लाग द्वारा विधिद्वारा किया गया है। जो तीन वर्ष या उससे अधिक के कारबास से दण्डनीय कारबाही के सदस्यों के रूप में या ऐसे सिङ्केट की ओर

हो, के पूर्व अनुमोदन के बिना, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा कोई भी सचिवा अधिलिखित नहीं की जाएगी। इसके अलावा, इस अधिनियम के उपबोधों के अधीन किसी अपराध का कोई भी अन्वेषण, पुलिस उप अधिकारी के रैक से नीचे की किसी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, इस अधिनियम के अधीन किसी संगठित अपराध वाले अपराध को करने के बारे में, पुलिस अधिकारी, जो उन पुलिस महानियक के रैक से नीचे का न

दर्ज किया जाएगा। हरियाणा विधान सभा के बजट सत्र में हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023 विधेयक पारित किये गए। हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023 मार्च, 2024 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की सरिति

## विधानसभा बजट सत्र के दौरान दो विधेयक पारित

टीम एक्शन इंडिया/चंडीगढ़

हरियाणा विधान सभा के बजट सत्र

में हरियाणा विनियोग (संख्या 2)

अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023

विधेयक पारित किये गए। हरियाणा

विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023

मार्च, 2024 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की सरिति

प्रतिविधि कारबाही विधेयक, 2023

विधेयक पारित किया गया। हरियाणा

विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023

मार्च, 2024 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की सरिति

प्रतिविधि कारबाही विधेयक, 2023

विधेयक पारित किया गया। हरियाणा

विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023

मार्च, 2024 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की सरिति

प्रतिविधि कारबाही विधेयक, 2023

विधेयक पारित किया गया। हरियाणा

विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023

मार्च, 2024 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की सरिति

प्रतिविधि कारबाही विधेयक, 2023

विधेयक पारित किया गया। हरियाणा

विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023

मार्च, 2024 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की सरिति

प्रतिविधि कारबाही विधेयक, 2023

विधेयक पारित किया गया। हरियाणा

विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023

मार्च, 2024 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की सरिति

प्रतिविधि कारबाही विधेयक, 2023

विधेयक पारित किया गया। हरियाणा

विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023

मार्च, 2024 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की सरिति

प्रतिविधि कारबाही विधेयक, 2023

विधेयक पारित किया गया। हरियाणा

विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023

मार्च, 2024 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की सरिति

प्रतिविधि कारबाही विधेयक, 2023

विधेयक पारित किया गया। हरियाणा

विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023

मार्च, 2024 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की सरिति

प्रतिविधि कारबाही विधेयक, 2023

विधेयक पारित किया गया। हरियाणा

विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023

मार्च, 2024 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की सरिति

प्रतिविधि कारबाही विधेयक, 2023

विधेयक पारित किया गया। हरियाणा

विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023

मार्च, 2024 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की सरिति

प्रतिविधि कारबाही विधेयक, 2023

विधेयक पारित किया गया। हरियाणा

विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023

मार्च, 2024 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की सरिति

प्रतिविधि कारबाही विधेयक, 2023

विधेयक पारित किया गया। हरियाणा

विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023

मार्च, 2024 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की सरिति

प्रतिविधि कारबाही विधेयक, 2023

विधेयक पारित किया गया। हरियाणा

विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023

मार्च, 2024 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की सरिति

प्रतिविधि कारबाही विधेयक, 2023

विधेयक पारित किया गया। हरियाणा

विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2023

मार्च, 2024 के 31वें दिन को समाप

# विपक्षी एकता की सख्त जरूरत: शरद पवार

करनाल/टीम एक्शन इंडिया  
नई अनाज मंडी में राष्ट्रवादी  
कांग्रेस पार्टी द्वारा राष्ट्रवादी  
महासंघेलन का आयोजन किया  
गया। महासंघेलन में राकाप के  
राष्ट्रीय अधिकारी एवं पूर्ण कठीय रथा  
व कृषि मंत्री शरद पवार ने बैठक  
मुख्य अतिथि शिरकत की। रैली  
स्थल पर पहुंचने पर प्रदेशाधिक  
मराठा वीरेंद्र वर्मा साहूत प्रदेश के  
अन्य नेताओं ने शरद पवार का  
पुण्यगृह अस्ति चिन्ह भेंट कर  
स्वागत किया।

महासंघेलन में पहुंचे लोगों को  
संबोधित करते हुए राकापां राष्ट्रीय  
अधिकारी शरद पवार ने कहा कि  
आज देश में पैदा हुए राजनीतिक  
हालातों को देखते हुए विपक्षी  
एकता की जरूरत जरूरत है, ताकि  
केंद्र व प्रदेश की राजनीति से  
भाजपा को बेदखल किया जा  
सके। उन्होंने कहा कि केंद्र में जिस  
प्रकार सहयोगी दलों के साथ  
मिलकर एसीपी चुनाव लड़ी है।  
उसी तर्ज पर हरियाणा में लोकसभा

8 विपक्षी एकता की सख्त  
जरूरत है, ताकि केंद्र व प्रदेश की  
राजनीति से भाजपा को बेदखल  
किया जा सके।

और विधानसभा में सहयोगी दलों  
का साथ लेकर मजबूती से दोनों  
चुनाव लड़कर सरकार बनाएगे।  
उन्होंने कहा कि मराठा वीरेंद्र को  
यहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार  
रहना है। सहयोगी दलों से हरियाणा  
में लोकसभा में गठबंधन वह खुद  
कर लेंगे। उन्होंने कहा कि आज  
महागढ़ की मार लागा पड़ रही  
है। घरेलू गैर सिलेंडर का रेट 12  
सौ रुपए हो गया है, जो कि  
किसान, मजदूर और अमाजन की  
पहुंच से बाहर हो चुका है। सत्ता में  
अनेकों बाट रेट का 500 रुपए  
तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि  
आज हरियाणा व पंजाब में मंडी  
सिस्टम खत्म होने की कामा पर  
है, लेकिन एसीपी हरियाणा व



पंजाब की तर्ज पर मंडी सिस्टम में  
अनुकूल सुधार करके पूरे देश में  
लागू करेंगे। वहीं मौजूदा सरकार  
द्वारा बड़े उद्योगपत्रियों और  
राजधानी का 10 लाख करोड़ का  
कर्ज माफ कर दिया गया, जबकि  
किसानों की सबसे ज्यादा मार तो  
किसान, मजदूर और दस्तकार पर  
पहुंच हो गया है, जो कि  
एसीपी और सहयोगी दल मिलकर  
किसानों की सभी मारों को पूरी  
करेंगे।

इसके साथ ही भाजपा ने अग्निवीर  
योजना के तहत सेना में 4 साल  
की सेवा कर ली, जबकि उन्होंने

रक्षा मंत्री रहते हुए अनुभव किया  
कि सेना में 20 साल का कार्यकाल  
अवश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा  
कि आज के हालात को देखते हुए  
सहयोगी दलों से तात्परता करके  
एसीपी हरियाणा में लोकसभा व  
विधानसभा चुनाव मजबूती के साथ  
लड़ेंगी और जीत दर्ज करेंगी। रैली  
को सतारा से सांसद श्रीनिवास  
पाटिल, दिल्ली के प्रदेशाधिक  
योगानंद शर्मा, राष्ट्रवादी युवक  
कांग्रेस के अध्यक्ष धीरेश शर्मा,  
राष्ट्रवादी विधायिका कांग्रेस की  
अध्यक्ष सोनिया दूहन ने भी  
संबोधित किया।

प्रदेशाधिक मराठा वीरेंद्र वर्मा ने  
कहा कि शरद पवार सामाजिक  
समस्ता और लोकतांत्रिक रवैये  
विधानसभा रखते हुए भारत को  
आधिकारियों के अध्यक्ष धीरेश शर्मा  
एवं दस्तकारों का कुतूहल कर्ज 2  
लाख करोड़ रुपए के करीब है।  
उन्होंने कहा कि बोरोजारी को दूर  
करने के लिए शरद पवार ने  
महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी कानून  
बनाया और लागू किया। इसके बाद

महाराष्ट्र को पावर में सरप्लस स्टेट  
बनाया। खेड़ी का पैटर्न बदल दिया।

वहीं सिंचाई के लिए पौंड सिस्टम

शरद पवार की देने हैं।

उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री रहते

हुए किसानों के लिए कल्याण के

लिए शरद पवार ने अनेकों कार्य

किए हैं, जिनको किसान आज भी

याद कर रहे हैं। असम, बिहार,

बंगाल और उड़ीसा बाटर सरप्लस

स्टेट थे। यहां चावल की खेती

शुरू करवायी। भारत को चावल में

सरप्लस बना दिया और यहां से

चावल का निर्यात होने लगा। इसी

तरह मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और

आधे राज्यों के लिए यहां चावल

में गेहूं की खेती चालाना होता है। और लोगों की किस भी

निकाली खेती होती है। ऐसे में वह दि

उनकी रेडियो नहीं लगेगी तो काम

कैसे चलाए। वे अपना घर किस

रहते हैं। दुकानों वे रेडी-

फॉडी वालों ने जमकर विरोध किया।

टीम ने कई दुकानदारों वे रेडी-

फॉडी वालों के लिए ही रेडी लगते हैं।

इसमें उन्हें घर का खर्ची भी चलाना

होता है। और लोगों की देने होती है।

नेहरू पैलेस में अतिक्रमण हटाने के

लिए पहुंची नार निगम की टीम का

रेडी वालों की देने होती है।

उनकी रेडियो नहीं लगेगी तो काम

कैसे चलाए। वे अपना घर किस

रहते हैं। इस कर्वाचौथ के दौरान

निगम की टीम के साथ भारी पुलिस

भी भीक पर मौजूद रहा। सिर्फी याना

के प्रशारी कमलदीप सिंह भी मौजूद

में ही कई दुकानदारों वे रेडी

संचालकों का चलाना भी किया गया

और लोगों का लाभ हुआ है। और

लिया हुआ तो लोगों के 3 से 4

वर्षों तक लगते हैं।

## नगर निगम टीम ने शहर में हटवाया अतिक्रमण



घंटे के लिए ही रेडी लगते हैं।

इसमें उन्हें घर का खर्ची भी चलाना

होता है। और लोगों की देने होती है।

उनकी रेडियो नहीं होती है। ऐसे में वह दि

उनकी रेडियो नहीं लगेगी तो काम

कैसे चलाए। वे अपना घर किस

रहते हैं। इस कर्वाचौथ के दौरान

निगम की टीम के साथ भारी पुलिस

भी भीक पर मौजूद रहा। सिर्फी याना

के प्रशारी कमलदीप सिंह भी मौजूद

में ही कई दुकानदारों वे रेडी

संचालकों का चलाना भी किया गया

और लोगों का लाभ हुआ है। और

लिया हुआ तो लोगों के 3 से 4

वर्षों तक लगते हैं।

उनकी रेडियो नहीं होती है।














# 1 एक साल नई मिसाल



## संकल्प नये उत्तराखण्ड का

- प्रदेश की मातृ शक्ति के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण।
- लखपति दीदी योजना में वर्ष 2025 तक प्रदेश की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की पहल।
- राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षेत्रिज आरक्षण का निर्णय।
- चारधाम और कांवड़ यात्रा में कुशल प्रबंधन से रिकॉर्ड संख्या में आए श्रद्धालु।
- केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर मानसखंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत कुमाऊं के पौराणिक और प्राचीन मंदिर क्षेत्रों में अवस्थापनात्मक विकास।
- वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला दो उत्पाद योजना।
- स्टेट मिलेट मिशन, मंडुआ की न्यूनतम समर्थन कीमत 3574 रुपए प्रति किंचंतल पर खरीद।
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में उत्तराखण्ड अग्रणी राज्य। प्रदेश के राजकीय विद्यालयों के प्रतिभावन छात्रों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना।
- टेली मेडिसिन के लिए 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को 04 मेडिकल कॉलेज से जोड़ा गया।
- 06 एरोमा वैली विकसित करने की योजना। 50 हजार पॉलीहाइस से बदलेगी उद्यानिकी की तस्वीर। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- मिशन दालचीनी, मिशन तिमरु प्रारंभ करने का निर्णय।
- नई खेल नीति से प्रदेश के स्थिलाड़ियों को प्रोत्साहन, खेल अवस्थापनात्मक सुविधाओं का विकास।
- उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखण्ड लॉजिस्टिक नीति, प्राइवेट इंडस्ट्रियल एस्टेट पॉलिसी।
- मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में सब्सिडी बढ़ाकर 40 प्रतिशत की।
- नई पर्यटन नीति में स्वरोजगार को बढ़ावा, 100 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान।

“ 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। आज उत्तराखण्ड, इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है।

**नरेन्द्र मोदी**  
प्रधानमंत्री

## मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी

केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के साथ ही टनकपुर-पिथौरागढ़ की सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिये चारधाम ऑलवेदर सड़क परियोजना पर तेजी से काम गतिमान।

दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड, नजीबाबाद-अफजलगढ़ बाईपास के साथ ही सितारांग से टनकपुर मोटरमार्ग को चार लेन में परिवर्तित करने की स्वीकृति।

केन्द्र सरकार से पौंछा साहिब-देहरादून, बनवासा-कंचनपुर, भानियाबाला-ऋषिकेश, काठगोदाम-लालकुआ-हल्द्वानी बाईपास और रुद्रपुर बाईपास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण सोगाता।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम गतिमान।

गौरीकुण्ड-केदारनाथ और गोविंदघाट-हेमकुण्ड साहिब रोपदे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। पर्वतमाला परियोजना पर तेजी से काम गतिमान।

उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा 1202 मोबाइल टावर की स्वीकृति।

भर्ती माफिया पर कड़ा प्रहार,  
देश का सबसे सख्त  
नकल विरोधी कानून।

जबरन और प्रलोभन से  
धर्मतरण पर रोक के लिए  
सख्त कानून।

समान नागरिक संहिता  
के लिए मजबूती से  
बढ़े कदम।

अंत्योदय परिवारों को  
साल में तीन गैस रिफिल  
निःशुल्क।



“ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखण्ड का होगा। उनके इस वाक्य ने उत्तराखण्डवासियों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया है। केन्द्र सरकार से राज्य को प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और जनसंतुष्टि के मूलमन्त्र पर चलते हुए अंत्योदय की भावना के साथ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास, कल्याण और उत्तरि के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम वर्ष 2025 तक देवभूमि को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ”

**पुष्कर सिंह धामी**  
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

